पत्र सं0–जी0एस0टी0 ऑडिट/2024–25/ 384 /राज्य कर

कार्यालयः–आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: 29 नवम्बर 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
समस्त संयुक्त आयुक्त, (टैक्स ऑडिट)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जी0एस0टी0 ऑडिट हेतु जोनवार/टर्नओवरवार पंजीकृत व्यक्तियों का अलग–अलग श्रेणी में निर्धारण करते हुए ऑडिट हेतु चयनित पंजीकृत व्यक्तियों की सूची के संदर्भ में।

श्रेणीवार जोन का वर्गीकरण :–

जोन की श्रेणी के वर्गीकरण का आधार 50 करोड़ टर्नओवर से ऊपर के व्यापारियों की संख्या को बनाया गया है। जिन जोन में 50 करोड से अधिक के व्यापारियों (निर्माता, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एवं अन्य) की संख्या 140 से अधिक है, उन्हें श्रेणी–ए में, 101 से 140 तक श्रेणी–बी में तथा 100 या इससे कम संख्या वाले को श्रेणी–सी में रखे जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्तानुसार जोन का वर्गीकरण निम्नवत है–

श्रेणी–ए,	श्रेणी–बी,	श्रेणी–सी,
1. गौतमबुद्धनगर	1. वाराणसी–प्रथम	1. प्रयागराज
2. गाजियाबाद–प्रथम	2. मेरठ	2. झाँसी
3. लखनऊ–प्रथम	3. बरेली	3. इटावा
4. गाजियाबाद–द्वितीय	4. गोरखपुर	4. अयोध्या
5. लखनऊ–द्वितीय	5. मुरादाबाद	
6. कानपुर प्रथम	6. वाराणसी–द्वितीय	
7. कानपुर–द्वितीय	7. सहारनपुर	
8. आगरा	8. अलीगढ़	

बडे मध्यम एवं छोटे करदाता का श्रेणीवार वर्गीकरण :–

पूर्व में वर्गीकृत बडे, मध्यम एवं छोटे करदाता (क, ख, ग एवं घ) में छोटे करदाता की न्यूनतम टर्नओवर की सीमा 40 लाख रखते हुये उक्त तीनों श्रेणियों के जोन्स के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी टर्नओवर के अनुसार निम्न प्रकार 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है–

जोन	बड़े करदाता (टर्नओवर) (श्रेणी–क)	मध्यम करदाता (श्रेणी–ख)	छोटे करदाता	
			(श्रेणी–ग)	(श्रेणी–घ)
श्रेणी–ए	≥60 करोड़	25 से 60 करोड़	05 करोड़ से 25 करोड़	40 लाख से 05 करोड़
श्रेणी–बी	≥40 करोड़	20 से 40 करोड़	05 करोड़ से 20 करोड	40 लाख से 05 करोड़
श्रेणी–सी	≥25 करोड़	15 से 25 करोड़	05 करोड़ से 15 करोड	40 लाख से 05 करोड़

चयनित सूची संबन्धित जोन के जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉग–इन आई0डी0 तथा विभागीय वेबसाइट Comtax.up.nic.in पर उपलब्ध करायी जा रही है।

चयनित पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ष 2021–22 से सम्बन्धित ऑडिट सम्पादित करने की समय–सीमा 30.06.2025 निर्धारित की जाती है।

(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्तः–

प्रतिलिपि :– संयुक्त आयुक्त (आई0टी0)राज्य कर मुख्यालय की ई–मेल पर चयनित सूची इस आशय से प्रेषित कि संबन्धित जोन के जोनल अपर आयुक्त तथा संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) की लॉग–इन आई0डी0 तथा विभागीय वेबसाइट Comtax.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

28/01/25

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।